न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 60/2014 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. रामगिरी बेवा खुशीराम अहीर निवासी ग्राम गोकलपुर तहसील बहरोड जिला अलवर ।
2. योगेश पुत्र खुशीराम अहीर निवासी ग्राम गोकलपुर तहसील बहरोड जिला अलवर ।
3. योगेन्दर पुत्र खुशीराम जाति अहीर निवासी ग्राम गोकलपुर तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:–– प्रतिवादी/अपीलांटस

बनाम

1. गिरवरनारायण उर्फ गिरवर दयाल पुत्र स्व0 मुरारी लाल जाति ब्राहमण ।
2. कैलाश नारायण उर्फ कैलाशचंद पुत्र स्व. मुरारीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बहरोड तह0 बहरोड जिला अलवर ।

:– वादी/असल रेस्पो0

3. रतीराम पुत्र दाताराम अहीर
4. बाबूलाल पुत्र दाताराम अहीर
5. मु0 सरिया पुत्री खुशीराम
6. मु0 लाली पुत्री खुशीराम
7. मु0 किरण पुत्री खुशीराम निवासीयान ग्राम गोकलपुर तह0 बहरोड जिला अलवर
8. उप पंजीयक बहरोड
9. तहसीलदार बहरोड बहैसियत लैंड होल्डर

:–– तरतीबी प्रतिवादी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी,बहरोड
दिनांक 20.5.2013

Scanned by CamScanner

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटस :— सर्व श्री अनिल गुप्ता,
गोविंदराम यादव,
महेशकुमार यादव

2. वकील रेस्पो0 :— उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक 2.11.2015

1. प्रस्तुत अपील तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 230/2008 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान गिरवरनारायण वगैरा बनाम रतिराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.5.2013 के विरूद्ध है, जिस आदेश के द्वारा ताफैसला यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गिरवार नारायण वगैरा ने तहत न्यायालय में धारा 88, 89 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट का एक दावा पेश किया और उस दावे के साथ धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सम्वत 2020 से पूर्व विवादित भूमि के खसरा नम्बर 4 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, 9 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, 10 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा थे । बंदोबस्त सम्वत 2020 में इनके हाल नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 77 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा, 78 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा, 81 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा बने थे तथा सम्वत 2042 में इनके हाल नम्बर 122 रकबा 85 एउयर, 123 रकबा 82 एयर, 124 रकबा 85 एयर, 125 रकबा 80 एयर वाके ग्राम गोकलपुर तहसील बहरोड बने हैं । यह आराजी वादीगण प्रार्थीगण की पैत्रिक कब्जे काश्त खातेदारी की थी । इसके खातेदार वादीगण प्रार्थीगण के दादा शालूराम थे । वादीगण के पिता एवं दादा का देहान्त हो चुका हैं । सम्वत 2020 के बंदोबस्त में उक्त विवादित भूमि को प्रतिवादीगण के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया । इस गलत इन्द्राज की आड में वे आराजी को खुर्दबुर्द करने पर उतारू है । अतः उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर अपीलांटस प्रतिवादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि तहत न्यायालय द्वारा ना तो हमारी प्रोपर तामिल करवाई गई, ना ही हम तहत न्यायालय में उपस्थित हुये और ना ही हमने पैरवी हेतु कोई वकील ही नियुक्त किया । अपीलाधीन आदेश हमारी पीठ पीछे से पारित किया गया है । इस कारण इसकी जानकारी हमको समय पर नहीं हो सकी थी । जब हमारी कब्जा काश्त में मजाहमत की गई तो जानकारी हुई । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि हमने पैरवी हेतु तहत न्यायालय में कोई वकील नियुक्त ही नहीं किया । हमारी तरफ से फर्जी तौर पर अण्डरटेकिंग दी गई है । विवादित भूमि के हम सम्वत 2020 से

Scanned by CamScanner

पूर्व से ही आज तक लगातार खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं । सम्वत 2020 से पूर्व के रेकार्ड में हमारा नाम दर्ज है । इसी अनुसार सम्वत 2020 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सही तौर पर इन्द्राज किये गये हैं । हमारी खातेदारी की भूमि पर हमको बिना सुने ही यथास्थिति के आदेश दे दिये गये हैं, जो न्यायोचित नहीं है । यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि तहत न्यायालय ने धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यथास्थिति के आदेश अंतरिम स्टेज पर दिये जा सकते हैं, अंतिम स्टेज पर नहीं । अंतिम स्टेज पर दिया गया यथास्थिति का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने इस तर्क के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की नजीर 2010 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1421 पेश करते हुये निवेदन किया कि तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4. रेस्पो0 उपस्थित नहीं ।

5. हमने पत्रावली का परिशीलन किया तथा विद्वान वकील अपीलांटस की बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर उदार रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में लिबरल व्यू अपनाया जाकर अपीलांटस द्वारा की गई देरी को कन्डोन किया जाता है और अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में मुख्य रूप से इन तथ्यों पर जोर दिया कि सम्वत 2020 से पूर्व के रेकार्ड उनके पक्ष में है, इसलिये बंदोबस्त सम्वत 2020 में सही तौर पर इन्द्राज किये गये हैं, तहत न्यायालय ने उनको बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर अंतिम स्टेज पर यथास्थिति के आदेश नहीं दिये जा सकते । विद्वान वकील अपीलांटस ने अदालत हाजा में सम्वत 2020 से पूर्व की जमाबंदिया पेश की है । ये जमाबंदिया अपीलांटस के पक्ष में हैं । जहां तक धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारण में यथास्थिति के आदेश दिये जाने का प्रश्न है तो हमने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.13 का अवलोकन किया, जिसमें विद्वान तहत न्यायालय ने इतना सा लिखा है कि पत्रावली पेश हुई, वकुलाय फरिकेन उपस्थित, बहस सुनी गई, ताफैसला यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं । तहत न्यायालय का यह आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की रेणी में नहीं आता है । क्योंकि धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र को अंतिम रूप से निस्तारण करने हेतु धारा 212 के तीनों इनग्रेडियेन्टस प्रथमदृष्टतया मामला, नापूर्तिजनक क्षति एवं सविधा का सन्तुलन को देखना होता है । विद्वान तहत न्यायालय ने इन तीनों बिन्दुओं की विवेचना किये बिना ही धारा 212 के प्रार्थना पत्र को निर्णित कर दिया, जो कि विधिसम्मत नहीं है । इसके अलावा धारा 212 के प्रार्थना पत्र को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुये यथास्थिति के आदेश नहीं दिये जा सकते, जैसा कि विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा पेश की गई माननीय राजस्व मण्डल की नजीर 2010 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1421 में प्रतिपादित किया गया है । इस नजीर के अलावा आर0 एल0 डब्ल्यू0 2010 (1)राजस्थान

Scanned by CamScanner

पेज 83, आर0 एल0 डब्ल्यू0 2006 (2) राजस्थान पेज 1326, आर0 एल0 डब्ल्यू0 2010(2) राजस्थान पेज 864 में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि धारा 212 के प्रार्थना पत्र को अंतिम रूप से निस्तारित करने में यथास्थिति के आदेश नहीं दिये जा सकते । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में भी यथास्थिति के आदेश को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश नहीं माना है । इस धारा 212 में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा आदेश (यथास्थिति का आदेश) कोई सकारण आदेश नहीं होता है । न्यायालय को आवेदन पर अस्थाई व्यादेश स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई एक आदेश देना होता । अस्थाई व्यादेश के लिए विनिर्दिष्ट निष्कर्ष देते हुऐ निश्चित्त आदेश पारित करना होगा । यथास्थिति का आदेश न्यायिक आदेश की संज्ञा में नहीं आता है । यथास्थिति से किसी भी पक्षकार का कब्जा आराजी पर होना प्रमाणित नहीं होता है, उन ही उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, माना जा सकता है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इन कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं किया और मात्र इतना सा लिख कर कि बहस सुनी गई, यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं, अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया , जिसे कि विधिसम्मत नहीं माना जा सकता । लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय [redacted] पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2013 निरस्त किया जाता है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner